लद्दाख द्वारा छठी अनुसूची की मांग

प्रलिम्सि के लयि:

संसद, केंद्रशासति प्रदेश (संघ-राज्य क्षेत्र) लद्दाख, संवधिान की छठी अनुसूची, स्वायत्त ज़लिा परषिदें (ADCs)

मेन्स के लयि:

केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची में शामलि करने की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के लोगों के लयि "भूमि और रोज़गार की सुरक्षा सुनश्चिति करने" हेतु केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख के लयि एक उच्चाधकिार प्राप्त समति का गठन कयि।

- समति के कुछ सदस्यों के अनुसार, गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि [छठी अनुसूची](https://www.drishtiias.com) में शामलि करने की उनकी मांगों पर वचिार-वमिर्श नहीं कयि जाएगा।
- सतिंबर 2019 में [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग](https://www.drishtiias.com) ने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामलि करने की सफिारशि यह देखते हुए की थी कि नया केंद्रशासति प्रदेश मुख्य रूप से **आदवािसी बहुल (97% से अधकि)** था और इसकी वशिष्टि सांस्कृतकि वरिासत को संरक्षति करने की आवश्यकता थी।

कमेटी का गठन कसि कार्य हेतु कयिा गया है?

- **पृष्ठभूमि:**
  - [संसद](https://www.drishtiias.com) द्वारा 2019 में संवधिान के [अनुच्छेद 370](https://www.drishtiias.com) के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का वशिेष दर्जा समाप्त कयि जाने के बाद लद्दाख में नागरकि समाज समूह **पछिले तीन वर्षों से भूमि, संसाधनों और रोज़गार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।**
  - **बड़े व्यवसायों और बड़े समूहों द्वारा स्थानीय लोगों से भूमि एवं नौकरयिाँ छीने जाने के भय ने** इस मांग को बढ़ावा दयिा है।
- **उद्देश्य:**
  - **क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और भाषायी भौगोलकि स्थति तिथा सामरकि महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसकी रक्षा** के उपायों पर चर्चा करना।
  - समावेशी वकिास की रणनीति बनाना और लेह, कारगलि एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी ज़लिा परषिदों के सशक्तीकरण से संबंधति मुद्दों पर चर्चा करना।

सरकार का रुख:

- जहाँ तक लद्दाख को वशिेष राज्य का दर्जा देने की बात है, तो सरकार इसके **लयि बहुत उत्सुक नहीं है।**
  - गृह मंत्रालय ने हाल ही में संसद की एक स्थायी समति को सूचति कयिा कि **छठी अनुसूची के तहत आदवािसी आबादी को शामलि करने का उद्देश्य उनके समग्र सामाजकि-आर्थकि वकिास को सुनश्चिति करना** है, जसिका केंद्र शासति प्रदेश प्रशासन पहले से ही ध्यान रख रहा है और लद्दाख को इसकी समग्र वकिास आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि पर्याप्त धन प्रदान कयिा जा रहा है।
- गृह मंत्रालय के मुताबकि, **लद्दाख को छठी अनुसूची में शामलि करना मुश्कलि होगा।**
  - संवधिान की छठी अनुसूची **पूर्वोत्तर के लयि है तथा** पाँचवीं अनुसूची देश के बाकी हस्सिों के आदवािसी क्षेत्रों के लयि है।
- राज्यसभा में पेश की गई एक रपिोर्ट के अनुसार, **लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में सीधी भर्ती में अनुसूचति जनजातयिों के लयि आरक्षण को**

10% से बढ़ाकर 45% कर दिया है, जिससे जनजातीय आबादी को उनके विकास में काफी मदद मिलेगी।

छठी अनुसूची:

- **अनुच्छेद 244: स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs),** जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, को **संविधान के अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची के अनुसार बनाया जा सकता** है।
    - छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।
- **स्वायत्त ज़िले:** इन चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है। **राज्यपाल** के पास स्वायत्त ज़िलों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित अधिकार है।
    - संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त ज़िलों पर लागू नहीं होते हैं अथवा विशिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
    - इस संबंध में निर्देशन की शक्ति या तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास होती है।
- **ज़िला परिषद: प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है** और इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
    - निर्वाचित सदस्य **पाँच वर्ष की अवधि** के लिये पद धारण करते हैं (यदि परिषद पहले भंग नहीं हो जाती है) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।
    - प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है।
- **परिषद की शक्तियाँ: ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रशासन** देखती हैं।
    - वे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज़ों आदि जैसे कुछ विशिष्ट मामलों पर कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों हेतु राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
    - वे जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिये ग्राम सभाओं या न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। वे उनकी अपील सुनती हैं। इन मुकदमों एवं मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
    - ज़िला परिषद ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाज़ारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है।
    - उन्हें भू-राजस्व का आकलन करने और एकत्र करने एवं कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से प्रावधान भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पाँचवीं अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवीं अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। **अत: 1 सही है।**
- ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायत को प्रदान किये गए 29 कार्य शामिल हैं। सूची की प्रविष्टि 17 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा से संबंधित है। बारहवीं अनुसूची में नगर निकायों को प्रदान किये गए 18 कार्य शामिल हैं। प्रविष्टि 13 में सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देने का प्रावधान है। **अत: 2 सही है।**
- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम, राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके

किसी हिस्से पर ऐसे अपवादों एवं संशोधनों के अधीन लागू नहीं होगा जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकता है। **अत: 3 सही है।**

- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह ज़िला परिषदों के लिये प्रावधान करती है, जो प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती हैं। **अत: 4 सही है।**
- सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची शामिल है। इसमें 'शिक्षा' से संबंधित प्रावधान हैं। **अत: 5 सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न. भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिये निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

(A) तीसरी अनुसूची
(B) पाँचवी अनुसूची
(C) नौवीं अनुसूची
(D) बारहवीं अनुसूची

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पाँचवी और छठी अनुसूची के साथ अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाले कोई अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज रियायतों के लिये अनुदान निर्देशित किया गया है।
- पाँचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी हिस्से पर लागू होगा या नहीं।
- इस प्रकार पाँचवीं अनुसूची के तहत खनन के लिये निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है।**अतः विकल्प (B) सही है।**

प्रश्न. भारत के संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिये किये गए हैं?

(a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिये
(b) राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिये
(c) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिये
(d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिये

उत्तर: (a)

- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। **अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ladakh-s-demand-of-sixth-schedule